

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या 508/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः दिनांकः 28 जून, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त अनुभाग का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उक्त अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाया है।
अर्थात्:-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 है।
(2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) अभिप्रेत है;
(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
(घ) "विशेष आर्थिक जीवन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जीवन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (य क) में है;
(इ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2
प्रशमन(कम्पोजिशन) नियम

3. प्रशमन उद्घोषण के लिए सूचना--

- (1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और जो धारा 10 के अधीन कर के मंदाय का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के उपरान्त तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से समान पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना फाइल करेगा :

G.C.T.
गोपनीय अधिकारी
प्रशमन विभाग

V
राज्यपाल
देहरादून

परंतु यह कि जहाँ प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, तब रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्ति का विल जारी करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प दे गकेगा, जिसे उन धारा 10 के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस विनाय वर्ते के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से समान पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताधारित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 11 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुमंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से मात्र दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन गृनना फाइल करता है, स्टाक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है, उस तारीख में साठ दिन की अवधि के भीतर, जिससे प्रशमन उद्भवण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवैध भी भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित ग्राहित केंद्रों के माध्यम से समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 में देगा।

(5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की वावत उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के मध्ये अन्य स्थानों की वावत गृनना समझा जाएगा।

4. प्रशमन उद्भवण की प्रभावी तारीख-

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प जहाँ नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है, वित्तीय वर्ष के आरंभ से और जहाँ उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, नियत दिन से प्रभावी होगा।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा।

5. प्रशमन उद्भवण की शर्तें और निर्बंधन-

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-

(क) वह न तो नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है;

(ख) जहाँ विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहाँ उसके द्वारा नियत दिन को स्टाक में धारित माल का अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भाग्न में बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) उसके द्वारा स्टाक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से क्रय नहीं किया गया है और जहाँ क्रय किया गया है, वहाँ वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है;

(घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या 11धारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा;

(ङ.) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौगन धारा 10 की उपधारा (2) के मंड (ङ.) के अधीन यथा जाथेगाने माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ था;

(च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी मिश्रे पर "प्रशमन कराधेय व्यक्ति, प्रतियोगी पर कर गणना के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा; और

(छ) वह, उसके कारबार के मुख्य स्थान के प्रभुव स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतीर्कना स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या माइन बोर्ड पर "प्रशमन कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई गुचना फाईल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के अधीन उक्त धारा के अधीन कर का मंदाय करता रह सकेगा।

6. प्रशमन उद्घाटन की विधिमान्यता -

(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित ममी शर्तों की पूर्ति करता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित विभी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चान की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख गं पहले समान पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक मन्यापन कोड के माध्यम गं सायापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 04 में आवेदन फाइल करेगा।

(4) जहाँ समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी कारण बताने वाले नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 06 में उत्तर की प्राप्ति पर उचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प को अस्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में आदेश जारी करेगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है, समान पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी- 01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको अस्वीकार किया गया है, उसके द्वारा स्टाक में धारित इनपुटों के स्टाक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे।

(7) किसी गज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुमार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के अस्वीकार किए जाने की

सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबाह के प्रत्यग गारणी स्थान की बाबत मूलता समझा जाएगा।

7. प्रशमन उद्धहण के कर की दर -

धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्धहण के लिए नीचे दी गई गारणी के गांग (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त गारणी के गांग (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा :

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे विनिर्माताओं से, जो मरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	दोइ प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्धहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	आधा प्रतिशत

अध्याय 3 रजिस्ट्रीकरण

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—

(1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भाग्त के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप में या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सूचियां केंद्र के माध्यम से समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नं., ई-मेल पता, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा :

परंतु यह कि किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उमकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबाह शीर्षकों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।

(2) (क) स्थायी लेखा संख्यांक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस में समान पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए बन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और

(ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेज गए रजिस्ट्रेशन का नाम साझा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

(3) स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक मान्यापन पर एक अस्थायी मन्दबो संख्यांक सूचित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर मान्यापन दिया जाएगा।

(4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सूचित मन्दबो संख्यांक का उपयोग करके इनैक्टुनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक मान्यापन को उक्त भाग में गांधीजी गांधीजी वाले उक्त प्ररूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिगृहित विर्गी गौतमा कद के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 म, इनैक्टुनिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

(6) नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले विर्गी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, समान पोर्टल द्वारा, अस्थायी मन्दबो संख्यांक दिया जाएगा। लेकिन उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इनैक्टुनिक रूप से जारी की जाएगी।

9. आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन—

(1) आवेदन उचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा। शोर गदि दे टीक क्रम में पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

(2) जहाँ नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अंगेश्वित विर्गी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहाँ उचित अधिकारी उसके माथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की वाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहाँ वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में, इनैक्टुनिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से मात्र कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज दाखिल करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से मिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है।

(3) जहाँ उचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहाँ वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से मात्र कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा।

(4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहाँ उचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वहाँ वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को अस्वीकृत कर देगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इनैक्टुनिक रूप से सूचित करेगा।

(5) यदि उचित अधिकारी,—

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर, या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से मात्र कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना—

(1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मूल स्थान और कारबार का (क) नियमित स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में गमान पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्यांक निम्ननियमित वर्णा के अधीन गमान प्राप्त किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) राज्य कोड के लिए दो वर्ष;
- (ख) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) या कार कटौती और मंग्रहण लेखा संख्यांक (टैन) के लिए दो वर्ष;
- (ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ष; और
- (घ) एक चैकसम वर्ष।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, तभी रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है।

(3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख में तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी नामिन, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की नामिन होगी।

(4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र उचित अधिकारी द्वारा दिजिटल रूप में हस्ताक्षरित होगा।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक संसूचित किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन इलैक्ट्रॉनिक मत्यापन कोड के माध्यम से गम्भीर रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर समान पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

11. राज्य के भीतर बहु कारबार शीर्षकाओं के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण—

(1) राज्य के भीतर बहु कारबार शीर्षका रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्षकाओं में से किसी के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्ननियमित शर्तों के अध्यधीन, प्रत्येक शीर्षकाओं के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा परिभासित एक में अधिक कारबार शीर्षका हैं;
- (ख) किसी कारबार शीर्षका को धारा 10 के अधीन कर मंदाय के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षकाओं में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है।
- (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्षका, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्षका को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का मंदाय करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे।

स्पष्टीकरण- खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्षका, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर मंदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्षका उक्त धारा के अधीन कर मंदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे।

(2) कारबार शीर्षकाओं के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्षकाओं के संबंध में प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के मत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपर्युक्त परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के लिए लागू होंगे।

12. स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यवहारियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना--

(1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यवहार या धारा 52 के उपर्युक्त अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति समान पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक मत्यापन कोड के माध्यम से मत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी-07 में प्रस्तुत करेगा।

(2) उचित अधिकारी सम्यक् मत्यापन के पश्चात् आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख में तीन वार्षिक दिवान का अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुभाग में उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर गकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-08 में गंगृनित किया जाएगा।

परंतु उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपर्युक्त प्रक्रिया का निम्नलिखित करेगा।

13. अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाना--

(1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के माध्यम रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक मत्यापन कोड के माध्यम से मत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-09 में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा।

परंतु भारत से बाहर निर्गमित या स्थापित किसी कागबार अस्तित्व की दशा में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्यांक या विशिष्ट संख्यांक, जिसके आधार पर अस्तित्व की उम्मीदेश की मरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्यांक सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, समान पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में होने के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के मत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपर्युक्त यथावत्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।

(4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा।

14. भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना--

(1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित

या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप में या जारीन हारा प्राप्ति वाला सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आर्गजी-10 में प्राप्त करता।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, प्रेसी शर्तों और निवैधनों के प्रत्यर्थीन और प्रयोगशक्ति द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा अधिमूचित की जाएं, रजिस्टरेशन प्रक्रिया जीप्रगती आरडी-06 प्रदान किया जाएगा।

15. नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचलन की अवधि का विभाग

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवार्यी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, एक आवेदन प्ररूप जीएसटी आरडीजी -11 में समान पाठ्य के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिगृहित गविधा केन्द्र के माध्यम में, या जिस द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रूपमें के गंदार पर अभिव्यक्ति की जाएगा।

16. अपने आप से रजिस्टर करणा -

(1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इम अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहिगों ने प्रत्याग्रण ग, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति गेमो रजिस्ट्रीकरण के, तो आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर गवेंगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी -12 में एक आदेश जारी कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख में प्रभावी होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपलब्ध प्रस्तुत और मीठे में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील दायित्व की जाती है, तो गंभीर मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व का समर्थन करने वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से मंबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के लिए लागू होंगे।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान मंड़ा, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्टरेशन प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

17. कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संदेश का समन्वेशन

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान मंड़ा प्रदान किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप जीएसटी आरईजी -13 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, समान पोर्टल पर, या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट गति में, सम्यक रूप से हस्ताक्षणित या इलैक्ट्रॉनिक मत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में एक आवेदन प्रमुख किए जाने पर या उन प्रमुखों जाने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर उक्त व्यापक को विशिष्ट पहचान देना।

18. नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना।

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबाह के मूल स्थान पर और उस प्रत्यक्त कारबाह के अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबाह के मुख्य स्थान और कारबाह के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा।

19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन।-

(1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी 09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी -10 में या प्ररूप जीएसटी आरईजी -13 में विशिष्ट पहचान संख्या को नियम आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने समय या समय-गम्भीर यथा संशोधन कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक गत्यापन को नियम समय से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो मीथ्र या आयुक्त द्वारा अधिगृहित गतिधा करने के माध्यम से प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यदि-(क) परिवर्तन नियम से संबंधित है -

(एक) कारबाह का विधिक नाम;

(दो) कारबाह के मुख्य स्थान या कारबाह के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या

(तीन) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्याय बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या गमतल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, जो कारबाह के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उन्नदायी है।-

जिसमें धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण आवश्यक नहीं है उचित अधिकारी गम्भक गत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी -15 में एक आदेश जारी करेगा और उस नियम संशोधन आवश्यक होने की घटना घटित होने की तारीख से प्रभावी होगा;

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) से संबंधित परिवर्तन गमान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त गम्भीर रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;

(ग) जहाँ खंड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, समान पोर्टल पर प्रस्तुत प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;

(घ) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबाह के गठन में कोई परिवर्तन होता है तो उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में आवेदन करेगा;

परन्तु यह और कि इस नियम समय-समय पर यथासंशोधन के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोवाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से समान पोर्टल के माध्यम से केवल आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(2) जहाँ उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो आवश्यक नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -03 में, उक्त सूचना की तामीली के मात्र कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए, सूचना तामील कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर जारी करना को नामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 04 में प्रस्तुत करेगा।

(4) जहाँ उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर भंतोपप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी करना का प्रत्युत्तर में, उप-नियम (3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, तो उन्नेत जारी करना उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 05 में आवश्यकता कर सकेगा।

(5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है ..

(क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या

(ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तारीख से गात कार्य दिवसों के भीतर तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र गात पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन -

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यापक जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है प्ररूप जीएसटी आरईजी - 16 में आवेदन इनैक्टुर्निक रूप से प्रस्तुत करता है, जिसमें उस तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपट या स्टाक में धारित अद्वैतैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूँजी माल के ब्यौरे, उस पर दायित्व, गंगे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, रद्दकरण की आवश्यकता की घटना घटित होने के तीन दिवसों की अवधि के भीतर समान पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के माध्यम से प्रत्यक्ष या आयक द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा;

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन पर, करगदेय व्यक्ति जो स्वेच्छा में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

21. कठिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना -

किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उन व्यक्ति-

(क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है।

22. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना -

(1) जहाँ उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी -17 में, गंगी सूचना की नामीली की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताने की आवश्यकता हुए कि व्यक्ति ने उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए, सूचना जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -18 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जहाँ व्यक्ति जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसी भी स्थिति हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताने के प्रत्युत्तर की

तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 19 में गतिशीलता को रद्द करने का आदेश जारी करेगा, जिसकी प्रभावी तिथि उसके द्वारा अवश्यकित की जाएगी। और वह धारा 29 की अधीन संदेय के लिए दायी रकम महित किसी कर, व्याज या शास्ति के बकाया का गंदाय करने का नियंत्रण करना होगा। करारण व्यक्ति को अधिसूचित करेगा।

(4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर मंतोपप्रद पाया जाना है, उन्हें अधिकारी कामेवारी का समाप्त करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 20 में एक आदेश पाइने करेगा।

(5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन महित, मृत स्वत्वधारी, गांद आवेदन यद्यपि गतिशील द्वारा प्रस्तुत किया गया था, के विधिक उत्तराधिकारियों को नागू होंगे।

23. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण-

(1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा गतिशील किया जाता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती। और करने वकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निवंधनों में व्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के गंवंध में देय विवरण फीस के लिए देय रकम के साथ संदर्भ नहीं की जाती।

(2) (क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 22 में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिगंगित कर सकेगा। और

उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, उन परिस्थितियों में भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 05 में आवेदन द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिगंगित के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) उचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पाइने करने से पहले, आवेदक से कारण बताने की यह अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए प्ररूप जीएसटी आरईजी - 23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी आरईजी - 24 में सूचना की तामीली की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

(4) प्ररूप जीएसटी आरईजी - 24 में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में निर्दिष्ट गीति में आवेदन का निपटान करेगा।

24. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रब्रजन-

(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर काटने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-मेल पते और मोबाइल संख्या के विधिमान्यकरण द्वारा समान पोर्टल पर प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे।

(ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 25 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, माल और सेवा कर पहचान संख्या को गार्फालेत करना हाँ। प्रदान विधा जाएगा, जो समान पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधीय व्यक्ति जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन वह गर्ज़ीकरण प्रदान किया जाता है, को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अनंतिम गर्ज़ीकरण प्रदान विधा जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम गर्ज़ीकरण प्रदान किया गया है इन्हें आवेदन करने से, उक्त आवेदन में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इनैक्ट्यूटिव गवर्नापन कोन के माध्यम से प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 26 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित समान पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष या भायक द्वारा ग्राहण की गयी विधि केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियों उचित अधिकारी द्वारा मही और पूरी पार्थी जाती है, प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र समान पोर्टल पर गर्ज़ीकृत व्यक्ति को इन्हें आवेदन करने से प्रस्तुत कराया जाएगा।

(3) जहाँ उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या गहरी अवधार पूरी नहीं पार्थी जाती, उचित अधिकारी, प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 27 में कारण बनाओं नोटिंग की नामीनी करने के पश्चात और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात, उप-नियम (1) के अधीन प्रदान अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 28 में एक आदेश जारी करेगा।

परन्तु प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 27 में जारी कारण बनाओं सूचना प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात ऐसा कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए सूचना जारी की गई थी।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन गर्ज़ीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह नियत तिथि के तीस दिवस की अवधि के भीतर, उसके विकल्प पर उम्मीदों प्रदान प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित गमड़े, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

25. करियर मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन -

जहाँ उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् गर्ज़ीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्रस्तुत जीएसटी आरईजी - 30 में समान पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी।

26. अधिप्रमाणन का ढंग -

(1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है, यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यारे, अपील भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इनैक्ट्यूटिव रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन गर्ज़ीकृत, गर्ज़ीकृत व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- (2) प्रत्येक दस्तावेज जिसके अन्तर्गत आन लाईन प्रमुख विवरणी भी हैं, इनैक्यानिक माध्यम का उपयोग गहन के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी।-
- (क) व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि स्वयं या जहाँ वह भाग से अनुपर्याप्त है उसके द्वारा गायत्री रूप से प्राधिकृत विभीत अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहाँ व्यष्टि उसके कार्यों को करने के लिए मानांगक रूप से अशक्त है, गायत्री संगमक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए मध्यम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;
- (ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहाँ कर्ता भाग से अनुपर्याप्त है या उसके बाहरी करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यक्ति मदम्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर से प्राधिकृत वायिकारी द्वारा;
- (ङ) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयवक न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (च) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी मदम्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;
- (ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए मध्यम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश उन्नित अधिकारी द्वारा या गुचना प्रीक्षांगकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से भेजी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इनैक्यानिक रूप से जारी किया जाएगा।

(राधा रत्नाली)
प्रमुख समिति।

सं.5c/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने रातर रो राम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकर्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियों वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4—अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन0आई0सी0
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

प्रूप जीएसटी सीमिती 01

/नियम 3(1) वर्ष/

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रजापता (प्रशान्त उद्घाटण)
(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवायियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/अनितम पहचान

2. विधिक नाम

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो

4. कारबार के मुख्य स्थान का पता

5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें।

(एक) सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता

(दो) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ब) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार

(तीन) संविरचना उद्घाटण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार

6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम के विकल्प का लिया गया है

2017-18

7. अधिकारिता

केन्द्र

ग्राम

8. घोषणा -

मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों का पालन किया गया है।

9. सत्यापन

मैं

सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात द्विपार्द्ध नहीं गढ़ी है।

गत्यनिष्ठा मे प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें कापर दी गई

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

नाम

पदनाम/प्राप्तिनि

प्ररूप जीएसटी सीएमपी 02

/नियम 3(2) दमें/

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रश्नागान (प्रश्नागान उदाहण)
(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन व्यवाधार का लिया)

1. जीएसटीआईएन

2. विधिक नाम

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो

4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता

5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें :

(एक) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं में भिन्न विनिर्माण।

(दो) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार

(तीन) संविरचना उदग्रहण के लिए गान्डी कोई अन्य पूर्तिकार

6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रश्नागान स्कीम के विकल्प का लिया गया है

7. अधिकारिता

केन्द्र

राज्य

8. घोषणा -

मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए निर्दिष्ट शर्तों और नियमों का पालन किया गया है।

9. सत्यापन

मैं

सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्राप्तिक्रिया

स्थान
तारीख



प्ररूप जीएसटी सीएमपी -03

/नियम 3(4) देखें/

प्रश्नमन उद्घारण के विकल्प की तारीख को स्टॉक के ब्यौरे द्वारा प्रभाग में
(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रब्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन								
2. विधिक नाम								
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो								
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता								
5. धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे						(i) आवेदन गंदर्भ मूल्य (ii) आवेदन (ii) फाइल करने की तारीख		
6. अधिकारिता					केन्द्र		71.2	

7. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं0	जीएसटीआईएन/टीआईएन	पूर्तिकार का नाम	बिल/बीज क्रम सं0	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	मेवा-कर (यदि लाग दूँ)	कल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
कुल योग									

8. विद्यमान विधि के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं0	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता	बिल/बीज क्रम सं0	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	मेवा-कर (यदि लाग हो)	कल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
कुल योग									

9. संदर्त करने के ब्यौरे	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/मंच राज्यक्षेत्र कर
	रकम		
	विकलन प्रविलिटि सं0		

०. सत्यापन

मेरे

गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में गत्य और सही है और इसमें कोई वास्तविक गलती नहीं है।

प्रार्थना द्वारा आपकी कामना है।

स्थान
तारीख

नाम

प्राप्ति/प्रार्थना

प्ररूप जीएसटी सीएमपी 04
/नियम 6(2) दस्ते/

प्रशमन उदयहण से प्रत्याह्ल के लिए प्रशासना/आवेदन

1. जीएसटीआईएन
2. विधिक नाम
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो
4. कारबार के मुख्य स्थान का पता
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवेश

(एक) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता

(दो) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार

(तीन) प्रशमन उदयहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार

6. कारबार की प्रकृति

7. तारीख जिससे प्रशमन स्कीम से प्रत्याह्लण की ईप्सा की गई है

दिन	माह	वर्ष
गाय		

8. अधिकारिता

केन्द्र

9. प्रशमन स्कीम से प्रत्याह्लण के कारण

10. सत्यापन

मैं

सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात द्विपाद नहीं गढ़ है। सत्यनिष्ठा मेरे प्रतिज्ञान और धोगणा करता है कि इसमें कार नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रागशिनि

टिप्पण: उस तारीख से, जिससे प्रशमन विकल्प का प्रत्याह्ल किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध गर्दांक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक का विवरण प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01 में दिया जा सकेगा।

प्रस्तुप जीएमटी मीएमपी) 05
(नियम 6(4) देखें)

मंदर्भ सं0 <<... >>

... नाम ...

सेवा में

जीएसटीआईएन
नाम
पता

धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प की अस्वीकृति के लिए।

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन प्रशयन स्टॉग के लिए गोपयन शर्तों और निर्बंधनों का उल्लंघन किया है। अतः मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन गोपयन के विकल्प अस्वीकृत करता हूँ।

1

2

3

....

? आपको इस सूचना की तारीख से पंद्रह कार्यदिवारों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का निरेश दिया जाता है।

? आपको दिन/मास/वर्ष कोबजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निरेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यवसित गोपयन के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उनिह अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

स्थान
तारीख

प्ररूप जीएसटी सीएमपी 06
(नियम 0(5 दृष्टि))
कारण बताओं सूचना का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं सूचना के व्यौदे	संदर्भ में तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के मुख्य स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
8.	सत्यापन	मैं और घोषणा करता हूँ कि इसमें कोई गई गुनना या गवोलम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात लिपाई नहीं गई है। प्राधिकृत दस्तावेज कर्ता के हस्ताक्षर तारीख स्थान

टिप्पणी

- उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप में आलोड़ किया जाए।
- समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए।

प्रस्तुत जीएसटी नीमापी ०७
(नियम ८(6) विधि)

संदर्भ सं० <<...>>

तारीख

गेवा में

जीएसटीआईएन
नाम
पता

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन)

तारीख

कारण बताओ सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्या.....तारीख.....द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्यक्षतर में फाइल किए गए आपके नाम..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में पाया गया है श्रीर. मना, प्रशमन स्थिति के अधीन का गंदाय के विकल्प को जारी रखा जाएगा। उक्त कारण बताओ सूचना रद्द की जाती है।

या

यह संदर्भ संख्या.....तारीख.....द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्यक्षतर में फाइल किए गए आपके नाम..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में नहीं पाया गया है और मना, प्रशमन स्थिति के अधीन का गंदाय के विकल्प का निम्नलिखित कारणों से << >> से अस्वीकृत किया जाता है।

<< पाठ >>

या

- आपने कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर फाइल नहीं किया है; या
- आप सुनवाई के लिए नियत तारीख हाजिर नहीं हुए हैं।

अतः निम्नलिखित कारणों से << तारीख >> से संविरचना स्कीम के अधीन आपके कार गंदाय के विकल्प का अस्वीकृत किया जाना है :

हस्ताक्षर
उचित अधिकारी का नाम

पदनाम
अधिकारिता

तारीख
स्थान

.....

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 01
 /नियम 8(1) देखें/
 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन सोन पर कर की कटौती के लिए अपार्किंग कोड व्यवसा और भाग 17 के अधीन सोन पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की शाया 14 में विस्तृत किसी ऐसे कराधेय अनिवासी प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन मूच्चना और डाटाबेस पहुंच या पन: प्राप्ति सेवा जो कि प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति न हो। भिन्न)

भाग - क

		राज्य/संघ राज्यप्रेष्ठ <input checked="" type="checkbox"/>	जिला <input checked="" type="checkbox"/>
(एक)	कारबार का विधिक नाम: (यथाउलिखित स्थायी लेखा संख्या)		
(दो)	स्थायी लेखा संख्यांक : (कारबार का स्थायी लेखा संख्यांक; भागीदारी समुन्धान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा गंतव्यांक प्राप्ति करें)		
(तीन)	ई-मेल पता :		
(चार)	मोबाइल संख्या :		

टिप्पण - भाग-ख को भरने हेतु कार्बाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन होगी।

आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल में 0 और ई-मेल पता देना होगा।

भाग-ख

1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)		
(एक)	स्वतंत्रधारी	(दो) भागीदारी	
(तीन)	हिंदु अविभक्त कुदम्ब	(चार) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी	
(पाँच)	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	(छ.) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम	
(सात)	सरकारी विभाग	(आठ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम	
(नौ)	अनलिमिटेड कंपनी	(दस) सीमित दायित्व भागीदारी	
(ग्यारह)	स्थानीय प्राधिकारी	(बारह) कानूनी निकाय	
(एक)	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	(चौदह) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	
(पदह)	अन्य (कृपया चिनिर्दिष्ट करें)		
3.	राज्य का नाम	जिला	
4.	अधिकारिता	राज्य	केन्द्र
		सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि	
		अन्य (चिनिर्दिष्ट करें)	

5.	प्रशमन के लिए विकल्प	हाँ	नहीं
6.	प्रशमन की घोषणा	<input type="checkbox"/> मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबाह में अधिनियम में विनिर्दित शर्तों और नियमों का या प्रशमन संबंध के सभी न कर गदाय के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है।	
6.1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चैकबॉक्स में चिन्हित करें-		
(एक)	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प आवश्यक नहीं हैं, नियमों से भी विनिर्माता		
(दो)	अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले पूर्तिकार		
(तीन)	प्रशमन उद्घाटन के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार।		
7.	कारबाह के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भव हुआ है	दिन/मास/वर्ष	
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
10.	यदि क्रम सं 0 9 में 'हाँ' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	गे <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
11.	यदि क्रम सं 0 9 में 'हाँ' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित पुर्तियां और प्राप्तकलित शब्द के दायित्व।	दिन/मास/वर्ष	दिन/मास/वर्ष
क्रम सं 0	कर का प्रकार	आवर्त (रुपाएँ में)	शब्द के दायित्व (रुपाएँ में)
(एक)	एकीकृत कर		
(दो)	केन्द्रीय कर		
(तीन)	राज्य कर		
(चार)	संघ राज्यक्षेत्र कर		
(पाँच)	उपकर		
	कुल योग		
	संदाय के व्यौरे		
	चालान पहचान संख्यांक	तारीख	रकम
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	(एक) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें		
	(दो) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख		
	(तीन) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		

13.	<p>क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?</p> <p>(एक) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का चयन करें (दो) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख (तीन) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम</p>	11	11
14.	<p>रजिस्ट्रिकरण अभिप्राप्त करने कारण:</p> <p>(एक) सीमारेखन (दो) अंतरराज्यिक प्रदाय (तीन) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व (चार) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के ग्रामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है) (पाँच) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है) (छः) निर्विलयन (सात) कारबार के गठन में परिवर्तन</p>	<p>(आठ) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विभिन्न ग्रामित्व (नौ) इनपूर्त में विवरक (दस) धारा 9(5) के अधीन कर संदाय के लिए दायी व्यक्ति (यारह) उकार्मग पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला करायग व्यक्ति (बारह) गैचिक आशा। (तेरह) अन्य करायग व्यक्ति (व्यक्तियां) ने प्राय से माल ब्रैड/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति (चौदह) अन्य (जो कार नहीं प्राप्त है) विनियोग करने वाले व्यक्ति</p>	
15.	विवरान रजिस्ट्रिकरण उपर्युक्त करें जहां कहीं लागू हों।		
	<p>मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>होटल और विलासिता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक</p> <p>आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक</p> <p>चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक</p> <p>अस्थायी पहचान, यदि कोई हो</p> <p>अन्य (कृपया विनियोग करें)</p>		

16. (क) कारबार के मुख्य स्थान का पता

भवन में ०/फ्लैट सं०	
परिमर/भवन का नाम	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	
तालुक/ब्लॉक	
राज्य	
अक्षांश	

तला ०१
महिला
जिला
पिन कोड
देशांतर

(ख) संपर्क सूचना

कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	प्राप्ति
मोबाइल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	प्राप्ति

(ग) परिमर की प्रकृति

अर्जन	पट्टा	किरण पर	गहमति	हिंगार	मन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो नागृ हो कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	थोक कारबार			खुदरा कारबार	
भांडागार/डिपो	बंधित भांडागार			मेवाओं के पृष्ठिकार	
कार्यालय/विक्रिय कार्यालय	पट्टा कारबार			मान या गेवा औं का प्राप्तिकर्ता	
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	संकर्म संविदा			नियंत्र	
आयात	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				

17. बैंक खाता (खातों) का व्यौरा

कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या

(10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)

बैंक खाता 1 का व्यौरा

खाता संख्या								
खाते का प्रकार								
बैंक का नाम								
शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)							

टिप्पण और अधिक खातों को जोड़ें

18. कारबार द्वारा पूर्ति किये गए माल का व्यौरा

१५. कृपया ५ उच्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें

क्रम सं०	माल का विवरण
(ए०)	
(द०)	
...	
(चार)	

एनामरागत कोड (नाम अंकों में)

१९. कारबाह द्वारा पूर्ति किये गए सेवाओं का व्यौरा।

कृपया ५ उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें

क्रम सं०	सेवाओं का विवरण
(एक)	
(दो)	
...	
(चार)	

एनामरागत कोड (नाम अंकों में)

२०. कारबाह के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का व्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या

परिसर।

(क) कारबाह के अतिरिक्त स्थानों का व्यौरा

भवन सं०/फ्लैट सं०		तल सं०	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
तालुक/ब्लॉक		पिन कोड	
राज्य		देशांतर	
अक्षांश			
(ख) संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी
मोबाइल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी
(ग) परिसर की प्रकृति			

अर्जन

पट्टा

किराए पर

सहमति

हिस्सेदार

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबाह के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिनहित करें)

पैकेटरी/विनिर्माण	थोक कारबाहर	घटना कारबाहर
भांडागार/डिपो	बंधित भांडागार	गेवा आंत के प्रदायकानी
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	गट्टा कारबाहर	माल या सेवा जो को प्राप्ति करती
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	संकर्म संविदा	नियमि
आयात	अन्य (कृपया विनिर्दिश्य करें)	

21. स्वतंत्रधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन भमिति के युणिकार्यकालीन वर्ष/गढ़ाया का बताया।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, महिला, अन्य
मोबाइल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं0 एसटीडी सहित			
पदनाम/प्राप्तियां		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हाँ/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	
आवासीय पता			
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0	
परिसर/भवन का नाम		मडक/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड	

22. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का व्यौरा
प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चैक बॉक्स
हस्ताक्षरी सं0 1 का व्यौरा

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम

.....

नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य
मौबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ		
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पद्धतान संख्या (यदि कोई हो)
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हाँ/नहीं	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामले में)

भारत में आवासीय पता		
मकान नंबर/फ्लैट नंबर		तल नंबर
परिसर/मकान का नाम		सड़क/गली
ब्लॉक/तालुका		
शहर/नगर/मुहल्ला/ग्राम		ज़िला
राज्य		पिन कोड

23. प्राधिकृत प्रतिनिधि का व्यौरा

नामांकन आई डी, यदि उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरे दे, यदि अभ्यावेशन आई डी उपलब्ध न हो			
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो			
प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
व्यक्ति का नाम			

पदनाम/प्रास्थिति											
मोबाइल नंबर											
ई मेल पता											
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ											

कैलग नंबर, एस टी डी का साथ

24. राज्य विशिष्ट सूचना

वृत्तिक कर नामांकन कोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

राज्य उत्पाद शुल्क अनुजमि संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क का भर्जमि है

- | | |
|------|---------|
| (क) | फिल्ड 1 |
| (ख) | फिल्ड 2 |
| (ग) | |
| (घ) | |
| (इ.) | फिल्ड |

25. दस्तावेज अपलोड करना

प्ररूप में फिल्ड वैल्यू के अनुसार ग्राहक अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जानी है।

26. सहमति

मैं आधार संख्या के धारक की ओर से < प्ररूप में दिये गए आधार संख्याओं के आधार पर पहले से भरे गए मान और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना बौरा प्राप्त करने हेतु सहमति देता हूँ। मान और सेवा कर नेटवर्क ने मझे मुनित अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ भाजा किया जाएगा और केवल

27. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

..... मैं एतदद्वारा रात्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचनी मेंमी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

तारीख: पदनाम / प्रास्थिति.....

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1.	<p>फोटो (जहाँ आवेदन पत्र में विस्तृत किया गया है)</p> <p>(क) स्वत्वधारी समूहान - स्वत्वधारी</p> <p>(ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी - प्रबंध/प्राधिकृत/प्रभाइट भागीदार (गभी भागीदार के व्यक्तिगत व्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार महिल कवल दण भागीदारों की पात्र प्रति को जाएगी)</p> <p>(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब - कर्ता</p> <p>(घ) कंपनी - प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>(ङ) न्यास - प्रबंध न्यासी</p> <p>(च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय - प्रबंध समिति के सदस्य (गभी गदरयों के आवागमन व्यौर प्रति को जाएंगे, परंतु अध्यथ सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(छ) स्थानीय प्राधिकारी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उगका समन्वय</p> <p>(ज) कानूनी निकाय - मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उगका समन्वय</p> <p>(झ) अन्य - भारसाधक व्यक्ति</p>
2.	कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, गोगाइटी, ट्रस्ट, कनव, गरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में ग्रिन्टीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण।
3.	<p>कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :</p> <p>(क) स्वयं के परिसर के लिए--</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रहीद या नगरानिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति ।</p> <p>(ख) भाड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए--</p> <p>पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रहीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किगा/पट्टा करार की प्रति ।</p> <p>(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए--</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रहीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेषर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे ।</p> <p>(घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहाँ किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहाँ परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति ।</p> <p>(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है ।</p>
4.	<p>बैंक खाते से संबंधित प्रमाण :</p> <p>बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार असतित्व का नाम, बैंक खाता सं0, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्भूत हो, स्कैन प्रति ।</p>

5.	<p>प्राधिकारपत्र प्ररूप :-</p> <p>आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध गमिति या निदेशक वा ई-कारबार का प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएँगे :</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए गुणवत्ता (स्वत्वधारी/मध्यभागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/द्रस्टी बोर्ड के मद्द्य आदि), सत्यानिष्ठा ये पाठेजात करना है/करते हैं कि << प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्राधिकृति/पदनाम) >> को मंकल्प गं0 तारीख द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), << माल और सेवा कर पहनान संख्यांक कारबार का नाम कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पोइल किया गया था है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस कारबार के संबंध में (गमि.मध्यभागी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर करने के लिए सम्मान व्यक्ति के हस्ताक्षर</p> <p>नाम :</p> <p>प्राधिकृति/पदनाम :</p> <p>(स्वत्वधारी/कारबार अंतिल्व का नाम)</p>
<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति</p> <p>मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) >> उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <p>स्थान :</p> <p>तारीख :</p>	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>(नाम)</p> <p>पदनाम/प्राधिकृति :</p>

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में अभिलिखित के अनुमार दर्ज करें। स्वत्वधारी समूच्छान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करें और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यांक उल्लिखित करें। स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर डाटाबेस में सत्यापित किया जाएँगा।
- सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्त्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/द्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
- निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं :--

<p>कारबार का गठन</p>	<p>व्यक्ति, जो आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं</p>
----------------------	---

स्वव्यधारिता	स्वव्यधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोस इटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाधिकारी भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या गमनालय
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या गमनालय
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया गमनालय पर आवश्यक सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
6. राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुविधा है।
7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे:--

क्रम सं०	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	अकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	अकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए।

8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निवेशक पहचान संख्यांक, चालान पहचान संख्यांक ये गोपीणे मध्ये युक्त हैं, परन्तु इस प्रकार के विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् उपरोक्त पाठ्य गद्य बदला दिया जाएगा।
9. अनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्राप्तियाँ, अभिरक्षीकृत पर अपलोड आवेदन गद्य (प्राप्ति गद्य), गद्यात् प्राप्ति पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीम गंदेय नहीं है।
11. प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।
12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर वह शीर्षक कारबाह है, जो प्राप्त किए जाएं वारदात शीर्षक के लिए प्रथक् संबोधिकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षक के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा।
13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य प्राप्ति पर अनलाइन गद्यात् जाप्त्यगा।
14. आवेदन के भाग के में प्रारंभिक व्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रथागी संदर्भ संख्यांक (प्राप्ति गद्य) आवेदन किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में व्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रथागी संदर्भ संख्यांक सामान्य प्राप्ति पर 15 दिन की वर्तमान
15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदर्भ करते हैं, लिए, प्रथम जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भूगतान करने की मुक्ता मानी जाएगी।

प्ररूप जी.एस.टी. आरटी २

(नियम ८(5) द्वारा)

अभिस्वीकृति

आवेदन सन्दर्भ संख्या (एआरएन)

आपने आवेदन सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टताएँ निम्नानुग्रहीत हैं।

फाइल करने की तारीख :

फाइल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विद्विक नाम :

व्यापार नाम (यदि लागू है) :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता :

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

अस्थायी सन्दर्भ संख्या (टीआरएन), यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरे ; चालान पहचान संख्या :

तारीख :

रकम :

यह सिन्दूर जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की अवश्यकता नहीं है;

*केवल नैमित्तिककराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू।

जी.एस.टी.आरईजी-३ प्रमाण

(नियम ९(२) दस्त)

सन्दर्भ संख्या

०११४

सेवा में,

आवेदक का नाम,
पता,
माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)
आवेदन सन्दर्भ संख्या (एआरएन)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/ समझौताकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन के मामले में है। विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह मन्त्रालय नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

? आप तारीख तक अपना जबाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किए जाते हैं
? आप तारीख को समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किए जाते हैं।
यदि निर्धारित तारीख तक जबाब नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा।
कृपया नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा।

संसाक्षण

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारी ता

*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं।

प्ररूप जी.एस.टी. आरडब्ल्यू-04
 (नियम 9(2) देखें)
 रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज़

1.	नोटिस के ब्यौरे	सन्दर्भ संख्या		
2.	आवेदन के ब्यौरे	सन्दर्भ संख्या		
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो			
4.	कारबार का नाम (विधिक)			
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो			
6.	पता			
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फ़िल्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है			हाँ नहीं (एक पर निशाच नगाह)
8.	अतिरिक्त जानकारी			
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
10.	सत्यापन			
	मैं..... सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि कारबार की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कछु भी छिपाया नहीं गया है।			
	स्थान :			प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम
	तारीख :			पद नाम/प्रारंभिति

टिप्पण :

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपनब्ध रहेगा यदि मद मात में विकल्प हों चुना गया हो।
2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए संशोधन के लिए आशयित फ़िल्ड संपादन ढंग में उपनब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हों चुना गया हो।

प्रृष्ठा जी.प्रमाणी, आरएजी 05

(नियम 9(4) दर्शन)

मन्दर्भ संख्या :

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जवाब के मन्दर्भ में है। विभाग ने आपके जवाब को परीक्षा किया है।
और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है:

- 1.
- 2.
- 3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

या

आपने मन्दर्भ संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जवाब उसमें विविहित समय के भीतर नहीं दिया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारी

प्रस्तुत जीएगटी आरडीजी ०६ (नियम १०(१) वैध) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (युआईएन)

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में
लागू)

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
 8. अनुमोदन प्राधिकारी की विधिविद्यां
 - i. केन्द्र

३१७

हस्ताक्षर

नाम

पद्मनाभ

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
टिप्पणि - रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गाज़

१०८ तमाद्री कारवाई प्रसारित वर्णन में कारवाई के सभी म्यानां में मुख्य रूप से दर्शी गई है। जानके लिए अपेक्षित है।

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के लिए

माल और सेवा कर पहचान संख्याक
विशेष नाम
व्यापार नाम, यदि कोई हो
राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं.
पता

1

2

3

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध मण्डिल व्यक्ति संगम का नाम/यारी का नाम जारी

1. फोटो	नाम	पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
2. फोटो	नाम	पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
3. फोटो	नाम	पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
4. फोटो	नाम	पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
5. फोटो	नाम	पदनाम /प्रास्थिति राज्य का निवासी
6. फोटो	नाम	पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
7. फोटो	नाम	पदनाम /प्रास्थिति राज्य का निवासी
8. फोटो	नाम	पदनाम /प्रास्थिति राज्य का निवासी
9. फोटो	नाम	पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
10. फोटो	नाम	पदनाम /प्रास्थिति राज्य का निवासी

प्रूप जीएसटी आरईजी-07
(गियम 12 (1) देख)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहणकर्ता में रूप में रीकॉर्ड करणे के लिए आवेदन

राज्य-

जिला

भाग का

(एक) कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहणकर्ता का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या / कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में अंतर्भुक्त होना)

(दो) स्थायी लेखा संख्या

(कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरे, संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में व्यापिक रथा यी लेखा संख्या)

(तीन) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या

(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या भरे, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है)

(चार) ई-मेल पता

(पाँच) मोबाइल नंबर

टिप्पणि - भाग ख भरे जाने के लिए कार्रवाई किये जाने से पूर्व उपर्युक्त दाखिल मुकाबला भरना आवश्यक नहीं है।

भाग छ

- व्यापार का नाम, यदि कोई हो
- कारबार का गठन (समुचित चयन करें)

(एक) स्वत्वधारी

(दो) भागीदारी

(तीन) हिन्दु अविभक्त कुटुंब

(चार) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(पाँच) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(छ) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/ व्यक्तियों का संगम

(सात) सरकारी विभाग

(आठ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम

(नौ) अनलिमिटेड कंपनी

(दस) सीमित दायित्व भागीदारी

(यारह) स्थानीय प्राष्ठिकारी

(यारह) कानूनी निकाय

(तेरह) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

(चौदह) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)

(पदह) अन्य (कृपया निम्न दिए दें)

- राज्य का नाम

जिला

- अधिकारिता

राज्य

केन्द्र

मेलटर/मर्किन /वाट/प्रभार/यूनाइटेड कार्यालय

5.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	<input checked="" type="checkbox"/> कर कटौतीकरण	<input type="checkbox"/> कर संग्रहणकरण
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	<input type="checkbox"/> बेन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

7.	कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के दायित्व की तारीख	तारीख/माह/वर्ष
8.	(क) कारबाह के मुख्य स्थान का पता	

भवन सं./फ्लैट सं.	ठन सं.
परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम	ज़िला
ब्लॉक/ताल्लुका	
देशान्तर	अक्षांश
राज्य	प्रिन कोड

(ख) संपर्क सूचना	
कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय टेलीफोन नं.
मोबाइल नं.	कार्यालय फैक्स नं.

(ग) परिसरों के कब्जे की प्रकृति

स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया	किराये पर दिया गया	सहमति	साझा की हुई	अन्य (विविध करें)
-----------	-------------------	--------------------	-------	-------------	-------------------

9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए हैं?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
10	यदि हाँ, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें	
11	आईसी (आयातकर्ता नियातिकर्ता कोड), यदि लागू हों	
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/व्यक्ति के ल्यौरे	

विशिष्टियां

नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
पिता का नाम			
फोटो			

जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	- पुरुष, स्त्री, अन्य -
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित			
पदनाम/प्राप्तिः		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	
आवासीय पता			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		परिषेत्र/ग्राम	
राज्य		पिन कोड	

13. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के बारे में

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चेक बॉक्स

हस्ताक्षरकर्ता सं. 1 के बारे में

विशेषज्ञान	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित			
पदनाम/प्राप्तिः		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	

आवासीय पता (देश के भीतर)

भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.
परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली
शहर/नगर/परिसर/ग्राम	ज़िला
राज्य	पिन कोड
ब्लॉक/तालुका	

टिप्पण-अतिरिक्त लिखें....

14. सहभाति

मैं आधार सं <प्रेरूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया> के धारक की ओर से अधिप्रमाण के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करते के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए गहराति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विशिष्मान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के माध्यम संज्ञा किया जाएगा।

15.

सत्यापन

मैं सत्य निष्ठा से यह प्रति ज्ञात करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विभास के अनुसार सत्य और सही है।

(दस्तावेज़)

स्थान:

कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यापेत/प्राधिकरण हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख

(पढ़नाम)

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या स्थानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अधिकरणों को लागून होना):-

कारबाह के मुख्य स्थान का सबूत:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए -

परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए-

पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में विशिष्मान्य किराया/पट्टा करार की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए -

सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में सहमतिपत्र की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नगरपालिका यात्रा को पारे गा। बिजली के बिन की प्रति सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।

(घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां पारेमर के कानून के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।

(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है गा आवेदक विशेष आर्थिक जोन विभागनाली है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

1. कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक पर यथा अभिलेखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहणकर्ता का नाम प्रविष्ट करें। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक आय-वार विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिमोदार डीडीओ (आहरण और संवेदन माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप नार्य कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर गवाता है।

4. अधीलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अश्युनित किया जाए।
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अश्युनित किया जाए।
5.	स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात तैयार की जाएगी।	
6.	ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्तिका को समान पोर्टल पर देखा जा सकता है।	
7.	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई मुल्क संदेश नहीं है।	
8.	प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।	

प्ररूप जीएसटी आर्कुजी-08
/नियम 12(3) देखें/

संदर्भ सं.

नाम:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर)

नाम:

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्द करण का आदेश

यह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करण के लिए संदर्भ संख्या....., तारीख..... द्वारा जारी करण बताओ सूचना के मद्देन्ह में है।

चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है, या

चूंकि सुनवाई के लिए नियत तारीख को आप हाजिर नहीं हुए, या

चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह गय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण नियमित कारण (कारणों) के लिए रद्द किया जा सकता है।

1.

2.

रजिस्ट्रीकरण के रद्द करण की प्रभावी तारीख <<तारीख/मास/वर्ष>>.

आपको (तारीख) को या इससे पहले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए निवेद दिया जाता है जिसके न हो गक्के पर रकम

अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्षक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यकोष कर	उपलब्ध
कर					
व्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पुरुष जीयासी आरडीजी-०१

/नियम 13(1) देखें/

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

भाग-क

राज्य/संघ राज्यकोष

जिला

(एक)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(दो)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(तीन)	पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	
(चार)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(पाँच)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(छ)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक	
(सात)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(आठ)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं. (+91)	

टिप्पणी - जहाँ व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, ऊपर प्रस्तुत मुसंगत जानकारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अध्यादीन है।

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)	
	प्रथम नाम	मध्य नाम
	फोटो	
	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य
	पदनाम	
	जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष
	पिता का नाम	
	राष्ट्रियता	
	आधार	
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता	पता पंक्ति 1
		पता पंक्ति 2

		पता पक्ति 3				
2.	वह अवधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से				
		तारीख/मास/वर्ष				
3	आवर्त के ब्यौरे	प्राक्कलित आवर्त (रुपये)		प्राक्कलित कर दरायत (प्रद.) (रुपये)		
		राज्य के भीतर अन्तर्राजीय		भेंटीय कर	राज्य कर	राज्यदोष कर
						प्रदेशीय कर
	उद्दम देश में अनिवासी कराधीय व्यक्ति का पता (कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)					
	पता पक्ति 1					
पता पक्ति 2						
4	पता पक्ति 3					
	देश (ड्रॉप डाउन)					
	जिप कोड					
	ई-मेल पता					
	टेलीफोन नं.					
भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता						
5	भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.				
	परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली				
	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र					
	ब्लॉक/तालुका	ज़िला				
	देशांतर	अक्षांश				
	राज्य	पिन कोड				
	मोबाइल नं.	टेलीफोन नं.				
	ई-मेल पता	फैक्स नं. एसटीडी सहित				
भारत में बैंक खाते के ब्यौरे						
6	लेखा संख्या	लेखा का प्रकार				
	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएससी			
7	अपलोड किए गए दस्तावेज					

	<p>प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अन्देशा रूप) को मन्त्रित या ना</p> <p>घोषणा मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी या संवैधानिक गति और विधान के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p>
8	प्राप्तिकारक विधायिका का नाम
	<p>स्थान:</p> <p>तारीख:</p>
	प्रदानामः
	<p>टिप्पणि: अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (प्रभान्नितिन सभा विधान के अनुसार) प्राप्तिकारन की अपेक्षा की जाती है।</p> <p>साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निभानुसार है:-</p>
1.	<p>मुख्य कारबार के स्थान का स्वरूप:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए -</p> <p>परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति</p> <p>(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए-</p> <p>पट्टकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए</p> <p>सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में सहमतिपत्र की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति। सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इनी दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p>अनिवासी कराधेय व्यक्ति के स्वरूप:</p> <p>बीजा के ब्यौरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निर्गमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थानी सेवा संख्यांक, यदि उपलब्ध हों, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
3	<p>बैंक खाता सम्बद्ध स्वरूप:</p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रह चेक की स्कैन की गई प्रति।</p>
4	<p>प्राधिकार प्ररूप:-</p> <p>आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकल्प के प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए अलग से) (स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड अदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य इत्यादि का विवरण) मैं/हम.....(नाम) जो(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी</p>

बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/गदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और धोषणा करते हैं कि . . . प्राथिकृत हस्ताक्षरी का नाम (प्रास्तिति/पदाभिधान)>> कारबार<<माल और सेवा वार पहचान संख्या कारबार का नाम>> जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या..... तारीख.....(इसके साथ प्रस्तुत पाते) द्वारा प्राथिकृत किया जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य भूमा पर/हम पर आवश्यक रहेंगे।

प्राथिकृत

नाम:
पदनाम/प्रास्तिति:
(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)
प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं <<(प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)>> सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राथिकृत हस्ताक्षर करता हूं, रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आवश्यक होंगे।

प्राथिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

पता:
तारीख:

पदनाम/प्रास्तिति:

अनिवारी कराईय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश

- पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवारी कराईय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
- सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
- आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के पास ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वाले बन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबन्ध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिकनिदेशक/भद्रस्यों द्वारा हस्ताक्षरित धोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करता है।
- अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित विनियोग हस्ताक्षर
	विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2. और उपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

6. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से गमनिष्ठत मार्गी जानकारी प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार नीजे जाएगी।
7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्राप्तिको समान पोर्टल पर देखा जा सकता है।
8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं है।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

प्रूप जीएसटी आरईजी 10

/नेयग 14(1) देवे/

दिविस्त्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन गुनना और राजावंश पहुंच या पुनः पाठी गेनोमा के रविस्त्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

	राज्य/रांग राज्यकोड़	जिला
(रक)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(दो)	व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(तीन)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान दी जाती है	
(चार)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(पाँच)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक	
(छ.)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(सात)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं. (+91)	

टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्ययीन है।

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का व्यौरा (भारत का निवासी होगा)	
	प्रथम नाम	मध्य नाम
	फोटो	
	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य
	पदनाम	
	जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष
	पिता का नाम	
	राष्ट्रीयता	
	आधार, यदि कोई हो	पता पंक्ति 1
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता	पता पंक्ति 2

		पता पंक्ति 3
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख	तारीख/गांव/वर्ष
3	वेबसाइट, जिसके भाष्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, का यूनिफार्म रियोल लोगो (यु.आ.लो.ल): 1. 2. 3...	
4	अधिकारिता	केन्द्र
	बैंक खाते के ब्यौरे	
5	खाता सं.	खाता का प्रकार
	बैंक का नाम	शाखा का नाम
6	अपलोड किये गए दस्तावेज़	प्राप्तिकारी
	प्ररूप में फील्ड वैल्यू के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) नो अनुकूल सूची	
	घोषणा मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे गांव/उम्म जान और विचारण के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।	
7	मैं.....यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राप्तिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यधोत्र में अवधिकारी निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूँगा और संग्रहीत करूँगा और उसे गांव गवर्नर में जमा करूँगा।	
	हस्ताक्षर	
	स्थान:	प्राप्तिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
	तारीख:	पदनाम :

टिप्पणि: आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विश्वान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1. भारत में कारबाह के स्थान का सबूत:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए -

परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए -

पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में चिकित्सालय किराया/पट्टा करार की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए -

2. सहभतिदाता के परिसरों के स्वाभित्व के समर्थन में सहभतिपत्र की प्रति गई है तोड़ दस्तावेज या नगरपालिका द्वारा की गयी या बिजली के बिल की प्रति। सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों की अपनी रकम दी जाती है।

निम्नलिखित के सबूत:

बीजा व्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। कानूनी/मोमाइ/एमआइ/एफटीएन-भारतीय आदि के घास के में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।

निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।

उद्धम के देश द्वारा जारी लाइसेंस की स्कैन की गई प्रति।

भारत सरकार द्वारा जारी अनापसि प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।

बैंक खाता सम्बद्ध सबूत:

बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।

स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का नाम संभ्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हो।

प्राधिकार प्ररूप:-

आवेदन पत्र में उल्लिखित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध नियमिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए अलग रो)

मैं(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए ...प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> प्राधिकृत हूँ।

इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी।

उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।

क्र. सं.

पूरा नाम

पदनाम/प्रास्थिति

हस्ताक्षर

I.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

(नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर स्थान

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएमटी आरईजी ।।

/नियम 15(1) के बें/

नैमित्तिक/अनिवासी कराधीय व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1. जीएसटीआइएन	2. नाम (विधिक)	3. व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो	4. पता	5. विधिमान्यता की अवधि (मूल)	से तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष
6. वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है				से तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष	
7. विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के बाहर (रूपये)				विस्तारित अवधि में लिए प्राप्ति कर दायित्व (शब्द) (रूपये)		
अन्तर्राज्यीय	राज्य के भीतर	केन्द्रीय कर	राजा कर	संघ राज्यपात्र कर	एकीकृत कर	उपकर
8. संदाय के बाहर						
तारीख	सीआइएन	बीआरएन				रकम
9. घोषणा-	मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे गवांतम ज्ञान और विद्यास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं खिपाई गई है।					
स्थान:	हस्ताक्षर					
तारीख:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: पदनाम/प्राप्तिः					

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।
2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया गया है।
3. सफल फाइल करने के पश्चात् आवेदन संदर्भ संख्या जनित होगी जिसे आवेदन की प्राप्तिका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुप जीएसटी आरईजी १२

(नियम १६(१) दिल्ली)

संदर्भ संख्या -

०४८५

गेहामे,

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदान नहीं के लिए आवश्यक

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करते का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के दायी हैं तो इसका आवश्यक आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कारबाह परिभर से एक लगाउ गई कारबाह की विशिष्टताएँ नीचे दी गई हैं।

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदान दिया गया है

१.	नाम और विधिक नाम, यदि नाम हो		
२.	लिंग		पुरुष/ महिला/ अन्य
३.	पिता का नाम		
४.	जन्म की तारीख		दिन/ मास/ वर्ष
५.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/प्लैट संख्या	
		मंजिल	
		परिसर/भवन का नाम	
		सड़क गली	
		शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम	
		ब्लॉक/तालुका	
		ज़िला	
		राज्य	
		पिन कोड	
६.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो		
७.	मोबाइल नंबर		
८.	ईमेल पता		
९.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट मंख्या/चालन अनुज्ञापन संख्या/आधार संख्या/अन्य)		

10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरणके कारण
11.	रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान

(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज का अग्रदूत किया जाना।)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर समुचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक प्राप्ति करने का निर्देश दिया जाता है >>

टिकाउना

स्थान :

नाम/खाता :

पदनाम/अधिकारिता :

टिप्पणी: आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तन्मथानी बैंडीय/गाज़िय प्राधिकारी की ओर से जारी।

प्रकृष्ट जीएसटी आरईआई । ३

(नियम १८ (१) दे/प्र०)

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशेष पहचान संख्या अनुदलत करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

राज्य/रांग राज्यक्रम

भाग क.

विवर

(एक)	इकाई का नाम		
(दो)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिभूतिन व्यक्ति की लेखा में नाम)		
(तीन)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		
(चार)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या		
(पाँच)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता		
(छह)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)		

साग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र दूतावास अन्य व्यक्ति		
2.	देश			
3.	अधिसूचना के व्यौरे	अधिगृहन संख्या		
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर	मंजिल		
	परिसर/भवन का नाम	मठक/गली		
	शहर/कस्बा/साँव	ज़िला		
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	सपके के लिए जानकारी			
	ईमेल पता	टेलीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर	मोबाइल नंबर		
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के व्यौरे, यदि नाम हो			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			

जन्म की तारीख	दिन/माह/वर्ष	विवर इमेल पता	पुस्तक, मोहरापा, जन्म
मोबाइल नंबर			
टेलीफ़ोन नंबर			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पदनाम मर्यादा (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार मर्यादा	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट मर्यादा (निदेशक का मामले में)	
आवासीय पता			
भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
परिसर/भवन का नाम		मटक/गली	
नगर/शहर/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुका			
राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़े)		
	खाता संख्या	खाता का प्रकार	
	आईएफएससी	बैंक का नाम	
	शाखा का पता		
9.	अपलोड किए गए दस्तावेज़		
	प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की एकत्री प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्यालयामा है समिलित है। इस अपलोड किया जाएगा।		
	या		
	उचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी माड्या एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की एकत्री प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्यालयामा है समिलित हैं, के साथ सूचित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आवंटित विभिन्न		
11.	सत्यापन	मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सबों तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।	

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

स्थान:
तारीख:

(प्रियोगकारी)

प्रियोगकारी का नाम
परिवार
जागेकारी

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन समान पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या उन्नित अधिकारी द्वारा इस प्रेरणा ग रजिस्ट्रीकरण अनुदान किया जा सकता है।
- समान पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या गरकार द्वारा यथाविभिन्न तिमि प्रत्य साझगम से इसका करना अपेक्षित है।
- संबंधित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राप्तिकाल ब्यौरो को आवेदन में "प्राप्तिकाल हस्ताक्षर करना" के ब्यौरो" के सामने भरा जाना चाहिए।

प्ररूप जीएसटी आरडब्ल्यू - 14

(नियम 19(1) दे/व्हा।)

रजिस्ट्रीकरण विशेषियों में संशोधन के निपुणतावेदन
(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यापारों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन

2. कारबार का नाम

3. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार

4. संशोधन सारांश

क्रम सं.	फ़िल्ड नाम	प्रभावी तारीख (दिन/ माह/वर्ष)	कारण

5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची

(क)

(ख)

(ग)

...

6. घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई मूलता मेरे गवर्नर वालकारी और विभाग के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

पदनाम/प्रास्तिक:

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए मनुदेश

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
2. कारबार के नाम, कारबार का मुख्य स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों वा निवासियों के नाम, वार्ता प्रबन्ध याचिका, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा समतुल्य, जो कारबार के दिन पौनेरिन का यामना के लिए उत्तरदायी हैं। वे समाजिक अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
3. गैर-कोर फ़िल्ड में संशोधन के लिए उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी लेखा गल्ला वा पारिवारिक लेखा वा लूप गल्ला हो तो उक्त व्यक्ति से नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर वा ई-मेल पोर्टल वा अपेक्षित का समान पोर्टल का गाँथगम वा ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।
6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निवासिक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या वा संबंधित गभी संसाना का प्रानलाइन विभिन्नमान्यकरण सिस्टम द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फ़िल्ड के गफलतात्परता, निश्चयमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी।
7. आवेदन की प्रास्थिति का समान पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई कीम संदेय नहीं है।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।

संदर्भ संख्या - <<>>

तारीख - १५/०८/२०१४

सेवा में

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या) /विशेष पहचान संख्या)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख - १५/०८/२०१४

संशोधन आदेश

यह आपके आवेदन संख्या ----- तारीख ---- जो रजिस्ट्रीकरण विधिवित्तियों में संशोधन के गवाध में है, के गलती में हो। आपके आवेदन की जान की गई है और उसे सही पाया गया है। रजिस्ट्रीकरण का संशोधन प्रगाण पर डा अलोक किंग जान के लिए आपके दृष्टिकोण पर उपलब्ध है।

उपलब्ध
नाम
पता
अधिकारिया

तारीख
स्थान

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएमटीआईएन			
2	विधिक नाम			
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो			
4	कारबार के मुख्य स्थान का पता			
5	भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स सहित)	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मात्रा
		परिसर/भवन का नाम		गड़बा/गाँव
		शहर/कस्बा/गाँव		गाँव
		ब्लॉक/तालुका		देशभन्द
		अधांश		प्रिन्सिप
		राज्य		रेलीफान
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		फैक्स गाँव
ईमेल				
6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	○ कारबार को जारी न रखना/ समाप्त		
		○ कर का संदाय करने के लिए दायी होने का समाप्त होना		
		○ समामेलन, आमेलन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निष्पत्ति के कारण कारबार का अंतरण आदि।		
		○ कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन		
		○ एकल स्वत्वधारी की मृत्यु		
		○ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
7.	कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस इकाई के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां, जिसमें विलयन, गमामेलन, अंतरण आदि किया गया है, के मामले में			
(एक)	माल और सेवा कर पहचान संख्या			
(दो)	(क) नाम (विधिक) (ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो			
(तीन)	कारबार के भवन संख्या/फ्लैट संख्या			मंजिल

प्रधान स्थान का पता	परिसर/भवन का नाम		परिवर्तन/परीक्षा
	शहर/कस्बा/गाँव		परीक्षा
	स्टॉक/तालुका		परीक्षा
	अद्धांश		परीक्षा
	राज्य		परीक्षा
	मोबाइल (देश कोड के माथ)		परीक्षा
	ईमेल		परीक्षा

8.	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना है।	दिन/ माह/वर्ष
9.	फाइल किए गए अंतिम रिटर्न की विशेषिटियाँ	
(एक)	कर अवधि	
(दो)	आवेदन संदर्भ संख्या	
(तीन)	तारीख	

10.	रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने की प्रभावी तारीख को स्टॉक में शारित इनपुट/पूँजी मालों के भेंवश में संदर्भ कर का क्रम	विवरण	स्टॉक का मूल्य (₹.)	संदेय इनपुट कर/कर (जो भी प्रधिक हो) (₹.ए)	उपकर
	इनपुट			केंद्रीय कर	
	अर्द्ध तैयार मालों में अंतर्विष्ट			राज्य कर	
	इनपुट			संघ राज्यक्षेत्र कर	
	तैयार मालों में अंतर्विष्ट			एकीकृत कर	
	इनपुट				
	पूँजी माल/संयंत्र और मशीनरी				
	योग				

11.	संदर्भ कर के ब्यौरे, यदि कोई हो	रोकड़ खाने से संदाय				
-----	---------------------------------	---------------------	--	--	--	--

क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1.						
2.						
	उप-योग					

आईटीसी खाने में संदाय

क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
----------	-----------------------	-------------	----------	---------------------	-----------	------

	1.				
	2.				
	उपयोग				
संदत्त कर की कुल रकम					

12. अपलोड किए गए दस्तावेज़

13. मत्यापन

मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि और यह घोषणा करता हूं/ करते हैं/ कि आपकी गई वृक्षका पर्याप्ति/ सर्वोत्तम जातकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छूपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरको का नाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरको का नाम

पर्याप्त/प्राप्ति

स्थान	
तारीख	

रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

- अपने रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की इच्छा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, नियम विवरण और अपर दायित्व के व्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज़ होंगे, जिनमें पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगा।
- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगा:

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वतंत्रधारिता	स्वतंत्रधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारमाध्रक व्यक्ति
गार्वजनिक थोक के उपकरण	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभागी व्यक्ति

४

स्वतंत्रधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष ऐन बल लगा से (एक विभिन्न उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी द्वारा) किया जाएगा। नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, वो कर पायीकारी के पास (एक अद्य कर्ता) के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई द्वारा रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

रद्द करने के लिए आवेदन करने में पूर्व उम कर अवधि के लिए कृपया अपनी देश के विवरणी फाइल कर, जिसमें विवरणी का वर्णन करती प्रभावी तारीख आती है।

- आवेदन की प्राप्तिका समान पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
- रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीम संदेश नहीं है।
- रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति गंदाय करता, यदि उस आवेदन को करने के मायं नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपचारित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करता।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और है मेल पते को भी अपडेट करता।

प्रस्तुप जीएगटी आरईजी - १७

(नियम २०(१) देखें।)

मंदभर्म संख्या -

तारीख

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ मूलना।

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्ननियित कारणों में प्रापका रीमैट्रीकरण रद्द करने का बाबी है।

१

२

३

... ? आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तारीख से ग्रात कार्यदिवस के भीतर दोने का नियंत्रित किया जाता है।

? आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का नियंत्रित किया जाता है।

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक मनोदारे के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणाग्रण के आधार पर प्रकरणका वित्तिनय किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर
प्रधिकारी का नाम
पदनाम
प्रधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 18

/नियम 22 (2) देविया/

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ सूचना का प्रत्यय।

1.	संदर्भ सूचना की संख्या	गाँव करने की तारीख
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन	
3.	कारबार का नाम (विधिक)	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	सूचना का प्रत्युत्तर	
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
7.	सत्यापन मैं हूं कि यहाँ ऊपर दी गई सूचना मेरी भवोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुगार मन्य और गहरी है और इसमें कोई भी छिपाया नहीं गया है।	सत्यापन करना ही यह भाँगन करना प्राधिकृत हरनाथरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्राप्तिनिधि
	स्थान तारीख	

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 19

/नियम 22 (3) दे/१४/।

तारीख

संदर्भ संख्या -

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशेष पहचान संख्या

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आदेश

आपके तारीख ----- के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तारीख की कारण बनाओं गृहना के संदर्भ में

- चूँकि कारण बनाओं सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रमुत नहीं किया गया है ; या

- चूँकि सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे ; या

- चूँकि अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के ममय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दस्तीबों की जांच की है और जांच यह पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दावी है ।

1.

2.

आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख ... दिन/मास/वर्ष ... है ।

रद्दकरण के अनुसरण में संदेश रकम का अवधारण:

तदनुसार, आपके द्वारा संदेश रकम और उमकी मंगणना तथा उसके आधार निम्नान्दगार है :

पूर्वोक्त संदेश अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिना है, जो आपके द्वारा अनियमितरण प्रयत्न किया जाने पर संदेश हो सकती है ।

आपमे (तारीख) को या उससे पूर्व निम्नलिखित रकमों का सदाय करना अनियमित है, जिसके न हो गकन पर रकम का प्रतिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	मंघ राज्यक्षेत्र कर	प्रतिकूल कर	उन्नीस कर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					

स्थान:

तारीख:

उन्नीस

अधिकारी का नाम :

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरडब्ल्यू 20

(नियम 22(4) वेस्टिंग)

पाठ्य

मंदर्भ संख्या -

गेत्रा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या

पाठ्य

रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

यह आपके तारीख के कारण बताओं सूचना दिन/ माह/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर के मानदंड में है। गलताई का दोष दिए गए जापानी और/या इलीलों पर विचार करने पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आंशक की गई कार्यवाहियां तथा अधिकारियों का विविध कारणों ग गमान की जाती हैं।

... पाठ ...

स्थान:

तारीखः

पाठ्य
प्रधानकारी का नाम
पाठ्य
प्रधानकारी का नाम

प्रस्तुत जीएसटीआरईजी 21

/नियम 23(1) देख/

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन					
1.	जीएसटीआरईजी (रद्द)				
2.	विधिक नाम				
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
4.	पता (कारबार का मुख्य स्थान)				
5.	रद्दकरण आदेश सं.	तारीख			
6.	रद्दकरण के कारण				
7.	फाइल की गई अंतिम विवरणी का व्यौग				
	विवरणी की अवधि	आवेदन मंख्यांक	गन्दर्भ तारीख	फाइल करने की तारीख	दिन मास वर्ष
8.	रद्दकरण के विखंडन का कारण	संधिस में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न विषय जा सकता है)			
9.	अपलोड दस्तावेज				
10.	सत्यापन मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई मूलनाम में ज्ञान और विश्वास में गलत और गलती है तथा उम्मीद वृद्धि नहीं।				
	स्थान तारीख	प्राधिकरण हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पुरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/प्राप्तिवि			

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

किसी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा अपनेआप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल मंख्या आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि रजिस्ट्रीकरण विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते के कारण रद्द हुए हैं तो ऐसी विवरणी प्रगति बिज्ञे जाने तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोध्य कोई रकम उक्त विवरणीयों के सम्बन्ध में व्याज, शास्ति और विलम्ब शुल्क के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदर्त किये जाने के बिना रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया जायेगा।

- ।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर इनके आनलाईन मत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम में विहित गिति में भंशोधित किया जाएगा।
- समान पोर्टल पर आवेदन की प्राप्तिवि देखी जा सकेगी।
- रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

/नियम 23(2 रेखा)

तारीख

गेवा में

जीएसटीआईएन / यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विवरण के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/ माह/वर्ष के गोदान में है।

यह रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विवरण के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/ माह/वर्ष के गोदान में है। आपके आवेदन का परिवर्तन किया जाता है। चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्त्तिन किया जाता है।

अपने विशेषज्ञता का नाम और संलग्न

(पठानम)

विशेषज्ञता

तारीख
स्थान

—
—
—

प्रूप जीएसटी-23
/नियम 23(3)देखें/

गंदर्भ सं. :

तामीर

मेवा में,
आवेदक/ करदाता का नाम
आवेदक/ करदाता का पता
जीएसटीआईएन
आवेदन गंदर्भ सं. (एआरएन):

तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बनाओ नोटिस

यह रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के बाबत आपके आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष के गंदर्भ में है। आपके आवेदन का प्रकाशन नहीं हुआ। और उसको निम्नलिखित कारणों से खारिज होने योग्य पाया गया।

- 1.
- 2.
- 3.

... ? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से गात कार्य दिवांगी में उत्तराधिकारी का नाम दे।

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अशोहनाशी के समय प्रतिश्वेत हो। यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यापारियों द्वारा गमवाई के लिए प्रतिश्वेत होने में असफल रहते हैं तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकाधीय विनिश्चित कर दिया जायगा।

उपलब्ध
अनियन्त्रित का नाम
(पढ़ाया)
प्रथिकार्यालय

प्ररूप जीएसटीआरईजी-24

/नियम 23(3)दिये/

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का। ।।।।।

1.	नोटिस की संदर्भ सं.	तारीख	
2.	आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)	तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों		
4.	सूचना/कारण		
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची		
6.	सत्यापन		
	मैं सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं द्विग्याया गया है।	प्राधिकार दस्तावेजकर्ता का दस्तावेज	
		पुराना म	
		पदगाम प्राप्तिकर्ता	
	तारीख		
	स्थान		

उत्तराखण्ड मरकार
प्रस्तुत जीवनी आमदी 25
/नियम 24(1)दंड/

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पहचान
2.	स्थायी खाता मंख्यांक
3.	विधिक नाम
4.	व्यापारिक नाम
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण द्वारे

	अधिनियम	रजिस्ट्रीकरण मंख्यांक
(क)		
(ख)		
(ग)		
तारीख	<प्रमाणपत्र के सृजन की तारीख>	स्थान
		राज्य

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -26

(नियम 24(2) द्वारा)

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए प्राप्ति

करदाता का व्यौरा

1. अनंतिम पहचान	
2. विधिक नाम (स्थायी खाता में के अनुमा	
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)	
4. व्यापार नाम, यदि कोई है	
5. कारबाह का स्थायी लेखा मं0	
6. मठन	
7. राज्य	
7अ. मेक्टर, मर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू है	
7आ. केन्द्रीय अधिकारिता	
8. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण कारण	
9. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण	

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण माल्या	रजिस्ट्रीकरण की नामीय
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण में		
3	प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण में		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल और लग्जरी कर रजिस्ट्रीकरण में		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण में		
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण में		
8	कारोबार पहचान में/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं./विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान में		
10	आयात/निर्यातिक कोड में		
11	ओषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. कारबार के मुख्य स्थान का व्यौरा

भवन सं./फ्लैट सं.	तला गं.
परिसर/भवन का नाम	मडक/गली
स्थान/ग्राम	जिला
राज्य	पिन कोड
अक्षांश	देशान्तर
संपर्क सूचना	

कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय दूरभाष गं.
मोबाइल सं.	कार्यालय फैक्ट्रम गं.

10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति (अपनी, पट्टे पर, किराए पर, महमति में, मालदारी)

10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति

फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>	खुदग कारबार	<input type="radio"/>	भटागार/डिपो	()
बांडे भटागार	<input type="radio"/>	मेवा उपबंध	<input type="radio"/>	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	पट्टा कारबार	()
मेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एमटीपी/ईएच टीपी	<input type="radio"/>	एम ई जैड	<input type="radio"/>	इनपुट मेवा विनग्रह	()
संकर्म संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>				

11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का व्यौरा

भवन सं./फ्लैट सं.	फ्लैट गं.
परिसर/भवन का नाम	मडक/गली
स्थान/ग्राम	जिला
राज्य	पिन कोड
अक्षांश	देशान्तर
संपर्क सूचना	

कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय दूरभाष गं.
मोबाइल सं.	कार्यालय फैक्ट्रम गं.

11अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति (अपनी, पट्टे पर, किराए पर, महमति में, मालदारी)

11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति

फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>	खुदग कारबार	<input type="radio"/>	भटागार/डिपो	()
बांडे भटागार	<input type="radio"/>	मेवा उपबंध	<input type="radio"/>	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	पट्टा कारबार	()
मेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एमटीपी/ईएच टीपी	<input type="radio"/>	एम ई जैड	<input type="radio"/>	इनपुट मेवा विनग्रह	()

✓

म कर्म संविदा	टीपी	अन्य (विनिर्दिष्ट तर्फ़)	
और जोड़ें			
12. कारबार द्वारा प्रदाय किए जाने वाला माल/सेवा का व्यौग			
क्रम सं.	माल का व्यौग	प्राप्ति संख्या	
क्रम सं.	सेवा का व्यौग	प्राप्ति संख्या	
13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते			
क्रम सं.	खाता सं.	खाता का प्रकार	आईएफएससी
			बैंक का नाम
			शाखा का नाम
14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रवथ गमिति के गदय/ग्रामी वारे/यादि का लिये नाम			
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य
सोबाईल सं.		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं.			
पहचान सूचना			
पदनाम	निदेशक पहचान सं.		
स्थायी खाता संख्या	आधार सं.		
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हाँ या नहीं	पासपोर्ट सं.	
निवास का पता			
भवन/फ्लैट सं.	तल सं.		
परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली		
स्थान/ग्राम	ज़िला		
राज्य	पिन कोड		
15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के व्यौगे			

नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	बांतेम नाम	
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	बांतेम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पूर्ण, श्री, मृण	
मोबाइल सं.		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.				
पहचान सूचना				
पदनाम		निदेशक पहचान गं.		
स्थायी खाता संख्या		आधार सं.		
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं		पासपोर्ट सं.	
आवासीय पता				
भवन/फ्लैट सं.		तल सं.		
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
स्थान/ग्राम		जिला		
राज्य		पिन कोड		
और जोड़े				

अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची

दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अनिवार्य है, गुनी में (अनुदेश देखें) में प्रत्येक परिवारि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के मात्र स्वतः आ जाने चाहिए। 16. मैं, प्ररूप में प्रदत्त आधार गंतव्याओं के धारकों को निमित्त माल और सेवाकर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से व्यौरे प्राप्त करने की गहरानी देता हूँ। माल और सेवाकर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान को वैश्वता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अभिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के साथ साझा की जाएगी।

17. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में गत्य और गहरी है तथा उसमें कूद नहीं छिपा गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		स्थान	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		तारीख	

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

- प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश मेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा सं. ग्रबता है, उसके ई-मेल और मोबाइल सं. वैश्वता द्वारा भमान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा।

.....

2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और पृष्ठ पर (०३) का अर्थ ई. जी. 25 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान गं. होगी को समाप्त प्रोटोकॉल पर अनलॉक कराया जाएगा।

3. अधिप्रमाणन प्ररूप -

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध गोपीत या वार्ता विवरण के संकलन परीक्षणालय का फोरमेट में फाइल की जाएगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/गंगम की प्रबंध गोपीत के महाराज/यामी वार्ता विवरण के अधीन)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/गंगम की प्रबंध गोपीत के महाराज/यामी वार्ता विवरण के अधीन

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि माल और सेवा पहचान गं. कारबार जी नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20 के प्रतीक रूपदेशन करने के लिए आवेदन प्राप्ति किया जाना है/रजिस्ट्रीकृत है।

इस कारबार के संबंध में उमके सभी कृत्य मुझ /हम पर वाध्यकारी हैं।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/गंगम की प्रबंध गोपीत के महाराज/यामी वार्ता विवरण के अधीन इत्यादि हैं।

क्रम सं.	पूरा नाम	पद/प्राप्तिहति	हस्ताक्षर
----------	----------	----------------	-----------

1.

2.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर वाध्यकारी होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम/प्राप्तिहति

तारीख

स्थान

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर/केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल में दिए जाएं। ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं।
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं। करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा।

- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/मंगम की पवाय गांगति के गदरग/यांगी वाई कारबार का मूल स्थान और प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरों के संबंध में आवश्यक प्रमाण जपाइया गुननाम भगवा गपीया होगा।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अंतर्गत, वैक्य यांगी वाले से गवाइया गुननाम भगवा गपीया जाना भी अपेक्षित है।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/मंगम की पवाय गांगति के गदरग/यांगी वाई इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कारी अपलोड करना आवश्यक है।
- विनिर्दिष्ट संलग्न के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता के स्पा में भागित करने की दशा में आवेदक को मालिक/गपीया साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/मंगम की प्रबंध गांगति के गदरग/यांगी वाई इत्यादि द्वारा उपलब्ध घोषणा की स्कैन की गई कारी अपलोड करना आवश्यक है।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे

1.	<p>आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस)</p> <p>मालिकाना संबंध- मालिक</p> <p>साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राथिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयाकृत व्यक्ति दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी गमितित हैं।</p> <p>हिन्दू अविभक्त कुदंब - कर्ता</p> <p>कपनी - प्रबंध निदेशक या प्राथिकृत व्यक्ति</p> <p>न्यास - प्रबंध न्यासी</p> <p>व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय - प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैगानिक और दिए जाएं जिसमें केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी गमितित हैं।)</p> <p>स्थानीय निकाय - मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उमके समतुल्य</p> <p>कानूनी निकाय - मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उमके समतुल्य</p> <p>अन्य - कार्यसाधक व्यक्ति</p>
2.	कारबार का गठन - साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विनेश्व, समिति, न्याग, कुब, गगकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राथिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का गजिरेंशन प्रमाणपत्र /सबूत।
3.	<p>कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत</p> <p>(क) अपने परिसर के लिए -</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रखी या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति</p> <p>(ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए -</p> <p>पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किगाए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रखी या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति</p> <p>(ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए -</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामीत्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत विल प्रति। साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे।</p>
4	बैंक खाते से संबंधित सबूत

	बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्कैन की हुई प्रति
	बैंक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/मंवंधित कारबाह, धारा स., धारा शाखा, दि. नाम, अम. जारीगा और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्रबंध गमिनि या बोइ निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या याचन्य का पत्र जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों।
▪ सूचना डिज़ीटल हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी। निम्नलिखित व्यापक नामांकन कीमि डिज़ीटल हस्ताक्षर पत्र या याचन्य	

कारबाह का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिज़ीटल हस्ताक्षर कर सकता है
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझेदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारमाधक व्यक्ति
लोक सैकटर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
मंवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	भारमाधक व्यक्ति

- आवेदन अनिवार्य रूप में डिज़ीटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए-

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिज़ीटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
----------	-----------------	--------------------------------

	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सैक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएमटी) वर्ते २ और उपर्युक्त।
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएमटी) वर्ते २ और उपर्युक्त। ई-हस्ताक्षर

- नोट :- 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएमटी को रजिस्ट्रीकृत करना अनिवार्य होगा।
 2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

स्थायी नेहा सं., आधार, निदेशक, पहचान मं., चालान, पहचान मं., सीमित दायित्व भागीदारी पहचान या से संबंधित गयी संवादाएँ गिरजा द्वारा आनलाइन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई गत्ता ओं के रापतापापत्रक विधिमान्य होने के पश्चात युक्त होंगी। आनलाइन भरे गए आवेदन की प्राप्तिस्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी।

1. प्राप्तिस्थिति हस्ताक्षरकर्ता अवयवस्था नहीं होना चाहिए।
2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा।

अभिविकृति

नामांकन आवेदन जी.एस.टी. प्ररूप आवेदन संदर्भ संख्या (ग.आर.एन.) : कोशल प्रदेश नं. ०१

प्ररूप सं. : <.....>

प्ररूप विवरण : <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन .

फाइल करने की तारीख : दिन/माह/वर्ष .

करदाता का व्यापारिक नाम : <व्यापारिक नाम .

करदाता का विधिक नाम : गजय /बेन्द्र गर्कार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान सं. : अनंतिम पहचान सं.

यह सिस्टम से सुजित पावती है और इसमें हमताक्षर होना अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप जीएसटी आरहजी 27

(नियम 24(3) द्वारा)

संदर्भ नं.

गेवा मे,

अनंतिम पहचान

नाम

पता

तारीख-दिन/मास/वर्ष

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < >

तारीख-दिन/मास/वर्ष

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताये गये हैं-

यह आपके आवेदन तारीख के संदर्भ में है। आवेदन का परीक्षण किया गया। और उपर्युक्त कारण से यह संलग्नता पाया गया:-

1
2
...
...

आपको यह कारण बताने का निवेश दिया जाता है कि क्यों न आपको प्रदन अनंतिम प्रमाणण कराकर दिया जाए।

उम्मीदः

अपना प्राप्तिकारी का नाम

पठाया

प्राप्तिकारी

तारीख
स्थान

प्ररूप जीएसटी आरहुजी 28

(नियम 24(3) द्वारा)

गंदर्भ सं.

तारीख-दिन/मास/वर्ष

सेवा में,

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान म. /अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < >

तारीख-दिन/मास/वर्ष

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आदेश

यह कारण बताओ नोटिस तारीख के संबंध में आपके उत्तर तारीख के गंदर्भ में है।

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या
 चूँकि सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या
 चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया। और उनका विवार यह है कि व्यापक व्यापक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण नियमित कारणों से रद्द किए जाने का दावी है।

1.

2.

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के अनुसरण में संदेश रकम का अवधारण

उदनुसार आपके द्वारा संदेश रकम और उसकी मंगणना तथा उगके आधार नियमित है।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि नियमित रकम तारीख तक या उससे पुर्व संदेश करें जिसके अधार पर आपके द्वारा दर्शाये जाएंगे। और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी।

शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
अधिकारिता

प्रगति एस.टी. आरडी.पी। २०

[नियम 24(4) देखें।]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग क

(एक) अनंतिम आई डी

(दो) ईमेल आई डी

(तीन) मोबाइल नंबर

भाग ख

१. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)

२. पत्र-व्यवहार के लिए पता

भवन संख्या/फ्लैट सं.		तल मं.
परिसर का नाम/भवन		गड़क/गली
शहर/कस्बा / गांव/परिषेव		जिला
ब्लॉक/टाल्लुका		
राज्य		प्रिन्सिपल

३- रद्दकरण के लिए कारण

४. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने हां नहीं

जारी किया है

५. घोषणा-

(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>,<विधिक नाम> के <पदनाम> के गप में एन्ट्राग घोषणा करता हूं कि अधिनियम के उपर्युक्तों के अधीन मैं रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हूं।

६. सत्यापन-

मैं <> सत्यापना से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां उपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में गही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आधार सं.	स्थाई खाता सं.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम		
पदनाम/प्राप्तिनि		
स्थान		
तारीख	तारीख/मास/वर्ष	

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-30

/नियम 25 देखे/

धेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रक्रम

गज्य अधिकारिता (सेक्टर/गर्फ़िल/जीवं)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए>>

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:-

करादेय व्यक्ति का नाम

जी.एस.टी.आई.एन./यू.आई.एन.-

द्वारा समनुदेशित कार्य:- <अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए>

समनुदेशित कार्य की तारीख और समय:- <सिम्टम तारीख और समय-

क्रम सं.	विशेषियाँ	उत्तर
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान व्यौरा अक्षांश उत्तर-द्वारा आबद्ध पश्चिम-द्वारा आबद्ध	देशान्तर दक्षिण द्वारा आबद्ध पूर्व-द्वारा आबद्ध हाउन्डी
4.	क्या पता वही है जैसा आवेदन में वर्णित है	
5.	निरीक्षण के समय उपस्थित व्यक्ति की विशेषियाँ (एक) नाम	
(दो)	पिता का नाम	
(तीन)	आवासीय पता	
(चार)	मोबाइल संख्या	
(पाँच)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(छ)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्राप्तियाँ	कार्यकरण- हाँ/नहीं
7.	परिमरक का व्यौरा खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग) झलदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग) तल जिस पर कारबार परिमर मिथ्या है	
8.	सत्यापित दस्तावेज	हाँ/नहीं
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहाँ स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना।	
10.	टिप्पणी(100 शब्दों से अनधिक) स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर <अधिकारी का नाम> पदनाम अधिकारिता